ए-27012/01/2022-स्था. (ए. एल.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
****

ओल्ड जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली
दिनांक: 25 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: बाल शिक्षा भत्ता (सी ई ए) की प्रतिपूर्ति हेतु दावे प्रस्तुत करने के संबंध में।

यह देखा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ते के दावे की प्रतिपूर्ति के लिए दावे अपने संबंधित कार्यालय/विभागों को प्रस्तुत करने बजाय इस विभाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। दिनांक 17.07.2018 के का. ज्ञा. सं. ए-27012/02/2017-स्था. (ए.एल) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक मामले में, बाल शिक्षा भत्ता एवं हास्टल सब्सिडी के दावे उस कार्यालय/विभाग में प्रस्तुत करने होगें, जहां कर्मचारी सेवारत हैं या सरकारी कर्मचारी की अंत में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने के मामले में कर्मचारी सेवारत था।

2. उन मंत्रालयों/विभागों, जहां ई-एच आर एम एस लागू है, सरकारी कर्मचारी सी. ई. ए. के दावे केवल ई-एच. आर. एम. एस. के माध्यम से ही करेंगे। वे मंत्रालय/विभाग, जिनमें ई-एच. आर. एम. एस. अभी तक क्रियाशील नहीं है, उनसे ई-एच.आर. एम. एस. का उपयोग यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध है।

25/8/23

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।